संख्या–2171 / 58–2010–174 / 09

प्रेषक,

बी0बी0सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत उद्यान शाखा के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक 2401–001–05–जिला व मण्डलीय कार्यालय में प्राविधानित सब्सिडी धनराशि रू0 9444 हजार के सापेक्ष धनराशि रू0 4722 हजार के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–डी0एच0–666–उद्यान / फलपट्टी / 2010–11, दिनांक 20–7–2010 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–1121 / 58–2010–174 / 2009 दिनांक 13.4.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्षक 2401–001–05–जिला व मण्डलीय कार्यालय में 27–सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0 9444 हजार के सापेक्ष रू0–4722 हजार (रूपये सैतालिस लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अधोलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार रू0 में)

	लेखाशीर्षक / योजना का नाम	कोड सं0 / मद का नाम		प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
	2		3	4	5
1	2401–फसल कृषि कर्म –	27.	सब्सिडी	9444	4722
	आयोजनेत्तर–				
	001–निदेशन तथा प्रशासन–				
	05–जिला व मण्डलीय कार्यालय		योग–	9444	4722

(धनराशि सैतालिस लाख बाईस हजार मात्र)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उ० प्र० लखनऊ

----2

1— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

2— जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

3— बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं शासनादेश संख्या सी0ए0–1191/दस–2009–मित0–1/2007 दिनांक 26.10.2009 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4— उक्त धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो–दो माह की फेजिंग करते हुए किया जाये तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

5— निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिकता इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

6— अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आय–व्ययक 2010–11 के बजट साहित्य में उल्लिखित अनुदान संख्या–10 के अधीन उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

7— वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान विभाग उत्तर दायी होगें।

8— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(बी0बी0सिंह)
संयुक्त सचिव ।

----3

संख्या– 2171 (1)/58–2009–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, उद्यान, लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0सिंह)
संयुक्त सचिव।